



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2014/फाल्गुन 1, 1935

No. 411]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014/PHALGUNA 1, 1935

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

New Delhi, the 19th February, 2014

**का.आ. 491(अ).**—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11-ए के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट, कोयला गैसीकरण (भूमिगत और भूतल) और कोयला द्रवीकरण के माध्यम से अभिप्राप्त सायन-गैस के उत्पादन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग विनिर्दिष्ट करती है।

**S.O. 491(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of Section 11 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby specifies production of cement, syn-gas obtained through coal gasification (underground and surface) and coal liquefaction to be end uses for the purpose of the said Act.

[फा. सं. 12012/1/2014-सीए-III]

[F. No. 12012/1/2014-CA-III]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

A. K. BHALLA, Jt. Secy.